FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

पवनादेवी वगैरह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 146/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
09-10-23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षित सार इसप्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 9 केवाईडी ए का मुरब्बा नं0 155/60 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 1.5–1.5 बिस्वा भूमि को हम प्रार्थीगण रास्ते हेतु समर्पण करना चाहते है। यदि उक्त भूमि को रास्ते हेतु समर्पण कर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि मुरब्बा नं0 155/60 के किला नं0 1 ता 5 में प्रत्येक में 1.5–1.5 बिस्वा कुल 7.5 बिस्वा भूमि को रास्ते हेतु समर्पण कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने के आदेश का निवेदन किया है। पत्रावली सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता कटान बाबत् सहमति व अनाप्ति शपथपत्र प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने आईडी प्रूफ व वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसके अनुसर वांछित रास्ता की भूमि प्रार्थीगण पवनादेवी व सुभाषचन्द्र के नाम बराबर हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थीगण दलीपसिंह को सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रास्ता में वांछित भूमि प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है इसलिए रास्ता के बदले प्रतिफल राशि किसी अन्य को देय नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।	

	पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। उक्त रास्ता की भूमि प्रार्थीगण के स्वंय के नाम ही दर्ज है इसलिए प्रतिफल किसी को देय नहीं है, ऐसा प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं चक 9 केवाईडी ए का मुरब्बा नं0 155/60 के किला नं0 1 ता 5 में 1.5–1.5 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेश किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रास्ता के रकबे को गैरमुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	